URGENT

From,

Mission Director,
National Health Mission, Haryana,
Paryatan Bhawan, Bays No 55-58,
Sector-2, Panchkula

To,

All Civil Surgeon,
In State of Haryana.

Letter No. NHM/DFA/DBT/2016-17/ 29528-48 Dated: 06/04/17

Subject:- Payment to contractual staff/Beneficiaries through DBT mode i.e Aadhaar base

Please refer to the above quoted subject and in reference to this office letter FMG/DBT/2016-17/26914-34 dated 26.10.2016 followed by DO letter no 27404-24 dated 29.11.2016 and FMG/PFMS/2016-17/28807-27 dated 16.02.2017.

The department of Ministry of Health & Family welfare issued a gazette notification for JSY, Asha and contractual staff. As per the notifications it is clearly stated that Aadhaar of all beneficiaries are to be seeded with the bank and should be updated in PFMS. If any beneficiaries have not enrolled themselves for Aadhaar then they can visit any Aadhaar enrolment centres. Further, the Ministry had laid a strict instruction that if any beneficiary wants to obtain cash assistance/benefits then Aadhaar is must and if they do not have Aadhar card till then such individual should provide the following documents:

1. Aadhaar enrollment ID slip or copy of request made for Aadhaar enrolment, **and**
2. any other ID proof provided that the documents shall be checked by officer designated by the State or UT administration.

The latest Aadhaar status is enclosed with this letter. Many beneficiaries Aadhaar have not been updated in PFMS. Therefore, requested to issue clear cut instructions to DAMs and to lower Health Facilities that no disbursal of cash to beneficiaries will be made till the time the individual provide Aadhaar number copy or enrollment slip along with any id proof. Moreover, from 1st April 2017 onwards all payments are to be transacted through PFMS to the Aadhaar linked accounts of beneficiaries.

Encl. As above

Director (Finance & Accounts)
For Mission Director (NHM) Haryana

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 626] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 697(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संविदात्मक आधार पर मानव संसाधन के विभिन्न प्रवर्गों, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, परा-चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारीवृंद भी हैं, को लगाया गया है।

और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्कीम के अधीन लगाए गए संविदात्मक कर्मचारीवृंद को प्रत्येक मास उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रसुविधा के रूप में पारिश्रमिक का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:—

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 697(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health & Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that for the effective implementation of the Scheme, various categories of human resources, which include medical, paramedical and non-medical staff, have been engaged on contractual basis in the States and Union territory Administrations under the Scheme;

And whereas, the contractual staff (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) engaged under the Scheme by the Department of Health and Family Welfare in the States and Union territory Administration are paid remuneration for the work performed by them every month as benefit, which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2d; and

(b) any of the following documents:-

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving License issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938
No. 627] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ. 698(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रुप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, तथा सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करने के लिए फायदाग्राहियों को समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने में विभिन्न दस्तावेज देने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ढांचे में यथा उपबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा पहलों का समर्थन कर रहा है तथा समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए उस स्कीम में स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात् प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को शामिल किया गया है।

और प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्रसुविधाओं के रूप में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का संदाय किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्विलित है।

अत: अब केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों से उनके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार किसी ऐसे पात्र फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, किंतु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी परंतु, वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का इस स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, वह ऐसे फायदाग्राही के लिए, जिसके पास अभी तक आधार संख्यांक नहीं है आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के, इस स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बन कर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परंतु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक ऐसे फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवा लिया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-कार्ड; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा एक शासकीय पत्र पर जारी किया गया फोटो पहचान प्रमाण-पत्र; या

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) बैंक फोटो पासबुक; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति स्कीम के फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया के माध्यम से और स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक विभाग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और 31 मार्च 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ख) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही, ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आस-पास के निकटतम क्षेत्र में नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण, आधार नामांकन कराने में असमर्थ है तो, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की आशा की जाती है और फायदाग्राहियों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संबन्धित पदधारियों को या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक ब्यौरे देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जेड-14018/1/2017-एमसीएच(जेएसवाई)]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 698(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting multiple programmes and initiatives under National Health Mission (hereinafter referred to as Scheme) to achieve goals as provided in the National Framework for Implementation of the Scheme, and that the Scheme has introduced voluntary community health workers that is Accredited Social Health Activists (ASHA) to form a critical link b21etween the community and the public health system;

And whereas, performance based incentives are paid as benefits to Accredited Social Health Activists (ASHA) (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) for the work performed by them and which involve recurring expenditures from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Individuals eligible to receive the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An eligible beneficiary entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31st March, 2017, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for such beneficiary who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Development Authority of India or by itself becoming Unique Identification Development Authority of India Registrar.

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If enrolled, the Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in Paragraph 2 d; and

(b) any of the following documents

(i) Voter ID Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or

(iii) Passport; or

(iv) Driving Licence issued by Licencing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; or

(vi) Ration Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Bank Photo Passbook; or

(ix) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of implementation of the Scheme through Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs), district hospitals and other concerned authorities shall be given to the beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other necessary details with the concerned officials of the Department of Health and Family Welfare or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. Z-14018/1/2017-MCH (JSY)]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938
No. 357] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

का. आ. 393 (अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गर्भवती स्त्रियों के सुरक्षित प्रसव के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन सुरक्षित मातृत्व स्कीम के रूप में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का समर्थन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले हुए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और इसमें पात्र गर्भवती स्त्रियों को सशर्त नकद सहायता दी जाती है ;

और, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रस्थापित पूर्वोक्त जननी सुरक्षा योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी ।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार सभी ऐसे पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता का उपभोग करने के इच्छुक हैं, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से, जो किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा है और यदि उनके ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभाग से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है :

परंतु जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही व्यक्ति के लिए आधार नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्यांक कार्ड ; या (iii) पासपोर्ट ; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या (v) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर उसके फोटो सहित जारी पहचान प्रमाणपत्र ; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड ; या (vii) बैंक फोटो पासबुक ; या (viii) किसान फोटो पासबुक ; या (ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्ड ; या (x) राशन कार्ड ; या (xi) सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र ; या (xii) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए जिम्मेदार किसी अभिहित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए, जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेगा, अर्थात् :--

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राहियों के लिए, स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से तथा राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कार्यालयों के माध्यम से और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या प्राइवेट अधिकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा, और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । उन्हें स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन जननी सुरक्षा योजना के अधीन नकद सहायता के फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन जननी सुरक्षा योजना का भारसाधक किसी अन्य विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा जहां जननी सुरक्षा योजना के अधीन फायदाग्राहियों से, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं/प्राइवेट अधिकृत सुविधाओं के कार्यालय में या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध बेव पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. जेड.14018/33/2012-जेएसवाई]

मनोज झालानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2017

S.O. 393 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is supporting Janani Suraksha Yojana (JSY) as a safe motherhood scheme under National Health Mission, for promotion of safe delivery among pregnant women, which is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations through the government health facilities or private accredited health facilities spread across the country and it offers conditional cash assistance to eligible pregnant women;

And whereas, the aforesaid Janani Suraksha Yojana offered at Government health facilities or private accredited health facilities involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as Act), the Central Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana is, hereby, required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission, who does not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31/03/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health and Family Welfare responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department responsible for implementation of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission in the State Government or Union territory Administration is required to provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual beneficiary of the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana, benefits under the scheme shall be given to such individual subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) (i) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Bank Photo Passbook; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card~~s~~; or (x) Ration Card~~s~~; or (xi) Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or (xii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State or Union Territory Administration responsible for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to beneficiaries, the State Government or Union territory Administration responsible for providing the cash assistance under the Janani Suraksha Yojana shall make all the required arrangements including following; namely:—

(1) Wide publicity through media and individual notices through the offices of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration and through Government health facilities or private accredited health facilities, shall be given to beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas by 31/03/2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of cash assistance under the Janani Suraksha Yojana under National Health Mission are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the nearby vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration, or any other department in charge of Janani Suraksha Yojana under the State Government or Union Territory Administration is required to create enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries under the Janani Suraksha Yojana may register their request for enrolment for Aadhaar by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the provisio to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the office of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration or at Government Health facilities/private accredited Health facilities or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territory Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. Z.14018/33/2012-JSY]

MANOJ JHALANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.